सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 26, बुधवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 18, 2023 *Asvina 26, Wednesday , Saka 1945- October 18, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 19, 2023

संख्या प.एफ. न. 3(8)वन/2023 :-वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात बारां जिले की तहसील किशनगंज मे स्थित रक्षित वन खण्ड बांझआमली वन भूमि, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची-। एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची-।। के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू-संरचना सम्बन्धित, नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षिति घोषित करती है, जिसे भविष्य में **बांझआमली संरक्षण आरक्षिति** के नाम से जाना जावेगा ।

अनुसूची-।

क्र.सं.	जिला	तहसील	वन खण्ड का नाम	क्षैत्रफल (हैक्टर)	भूमि का वर्गीकरण
1	बारां	किशनगंज	बांझआमली	14621.91	रक्षित वन
योगः-				**14621.91 है0**	

अनुसूची-।।

उत्तरी सीमा :- वनखण्ड बांझआमली की उत्तरी सीमा (सरहद मध्यप्रदेश)

पूर्वी सीमा :- वनखण्ड बांझआमली की पूर्वी सीमा वनखण्ड खण्डेला तक

दक्षिणी सीमा :- वनखण्ड बांझआमली की दक्षिणी सीमा होगी वनखण्ड जयनगर उर्फ बकनपुरा ए, वन खण्ड खेडला तक

पष्चिमी सीमा:- वनखण्ड बांझआमली की पश्चिमी सीमा

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशेषाधिकारी, वन।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।